राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

2008–2009

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2008 – 2009

प्रस्तावना :

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 1.5.1985 से संविधान की धारा 323–बी के प्रावधानों के अन्तर्गत विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित वादों का शीध्रतम निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्‌देश्य से की गई थी ताकि गतिशील विक्रय कर विधान की सुसंगत व्याख्या की जा सके। इस अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित मामलों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) विक्रय कर विभाग के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में हो सकती थी। दिनांक 1.10.1995 से इस अधिकरण का नाम परिवर्तन कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्‌यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। यह संशोधन दिनांक 24.3.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित हुए है जिनकी सुनवाई एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित की जा रही है। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित द्वितीय अपील सुनने के अधिकार प्रदान किये गये है।

2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम संख्या 6) के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के अनुसार आबकारी मामलों में पूर्व में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने के अधिकार थे। उक्त संशोधन दिनांक 6.6.2007 से प्रभावी किया गया है एवं तदनुसार अब आबकारी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील/रिवीजन की सुनवाई के अधिकार राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गये है। उक्त संशोधन के बाद राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलें/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित हो गई हैं जिनकी सुनवाई एवं निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा सुचारू रूप से की जा रही है।

3.0 *गठन :*

3.1 बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य पदस्थापित हैं। अध्यक्ष, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के (राज्य के प्रमुख शासन सचिव के समकक्ष) स्तर का अधिकारी होता है। बोर्ड के सदस्यों को राजस्व मण्डल के सदस्यों का स्तर प्रदान किया गया है। उन्हें वही मासिक वेतन एवं भत्ते देय हैं जो राजस्व मण्डल, राजस्थान के सदस्य का पद धारण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तथा राज्य के शासन सचिवों को देय है।

3.2 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं	नाम	पद	अवधि
1.	श्री बालकृष्ण मीणा	अध्यक्ष	26.04.2007 से निरन्तर
2.	श्री विपिन भटनागर	सदस्य	09.06.2004 से निरन्तर
3.	श्री एस. एल. परमार	सदस्य	20.01.2007 से 31.01.2009
4.	श्री ओ. पी. सहारण	सदस्य	08.10.2008 से निरन्तर
5.	श्रीमती इलोरा बागची	रजिस्ट्रार	23.09.2004 से निरन्तर
6.	श्री सुरेश कुमार नवल	सहा. रजिस्ट्रार	12.01.2009 से निरन्तर

3.3 कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। इस पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारी कार्यरत हैं।

3.4 सहायक रजिस्ट्रार का पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग का है इस पद पर दिनांक 11.7.1994 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के अधिकारी कार्यरत है।

4.0 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	1	–
2	सदस्य	4	3	1
3	रजिस्ट्रार	1	1	–
4	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	–
5	सहायक लेखाधिकारी	1	1	–
6	निजी सचिव	2	2	–
7	निजी सहायक	1	1	–
8	स्टेनोग्राफर	2	0	2
9	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–
10	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	–
11	कार्यालय अधीक्षक	1	1	–
12	कार्यालय सहायक	2	2	–
13	वरिष्ठ लिपिक	6	6	–
14	कनिष्ठ लिपिक	12	12	–
15	वाहन चालक	4	4	–
16	जमादार	1	1	–
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	12	11	1
18	प्रोसेस सरवर	3	3	–
योग		**56**	**52**	**4**

5.0 **बजट स्थिति :**

वर्ष 2008–2009 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन	दिसम्बर 2008 तक के व्यय
1	संवेतन	1,23,00,000	1,14,62,114
2	यात्रा भत्ता	2,70,000	2,33,577
3	चिकित्सा व्यय	2,50,000	2,90,573
4	वाहन संधारण	3,50,000	3,20,378
5	कार्यालय व्यय	15.20,000	10,31,446
6	पुस्तकालय	1,00,000	82,499
7	वाहन किराया	1,40,000	1,08,962
8	संविदा व्यय	2,00,000	1,63,668

6.0 **पुस्तकालय :**

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय बैंचों एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में लगभग 6803 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 **वर्षवार वाद स्थिति :**

वर्ष 2006, 2007 एवं 2008 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) वादों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	वाद	2006	2007	2008
1.	बकाया वाद	4278	5240	5645
2.	दायर वाद	2617	2723	2628
3.	निस्तारित वाद	1655	2318	2194
4.	शेष वाद	5240	5645	6079

कर बोर्ड में विचाराधीन वादों की सुनवाई एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किए जाने का प्रावधान है। विक्रय कर के जिन वादों में विवादास्पद कर राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवाई एकलपीठ एवं जिन वादों में यह राशि पांच लाख से अधिक है उन वादों की तथा आबकारी से संबंधित समस्त वादों की सुनवाई खण्डपीठ द्वारा एवं स्टाम्प एक्ट एवं भूमि कर से संबंधित समस्त वादो की सुनवाई एकलपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु वृहद्पीठ को निर्णय हेतु रेफर किया जाता है।

8.0 वर्ष 2008–09 के दौरान दिसम्बर, 2008 तक वादों के निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :–

1.1.2008 को शेष वाद

डी.बी.	एस.बी.	शेष वाद
725	**4920**	**5645**

माह	दायर वाद		निस्तारित वाद		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
जनवरी	32	260	21	135	736	5045	5781
फरवरी	47	192	59	104	724	5133	5857
मार्च	57	166	41	137	740	5162	5902
अप्रेल	68	162	15	122	793	5202	5995
मई	56	251	61	135	788	5318	6106
जून	100	134	42	235	846	5217	6057
जूलाई	37	144	29	207	854	5154	6008
अगस्त	40	140	27	93	867	5201	6069
सितम्बर	42	153	58	102	851	5252	6103
अक्टुबर	80	152	31	140	900	5264	6164
नवम्बर	27	131	18	171	909	5224	6133
दिसम्बर	**29**	**124**	**35**	**172**	**903**	**5176**	**6079**

वादों के निस्तारण के संबंध में उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड में एक सदस्य का पद श्री सुभाष भार्गव, आई.ए.एस. की दिनांक 31.10.2007 को सेवानिवृति के पश्चात आदिनांक तक रिक्त रहने के कारण वादों के निस्तारण की प्रगति प्रभावित हुई है।

9.0 अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में योजना भवन में लगाई जाती है। जिसमें मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुनु, दौसा, एवं चुरू जिले के वादों की सुनवाई की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं अपीलार्थीयों की सुविधा हेतु जोधपुर/उदयपुर मे भी त्रैमासिक रूप से एक सप्ताह के लिए एकलपीठ आयोजित की जा रही है।

10 दिसम्बर 2008 से विशेष प्रयत्न :

बोर्ड में विचाराधीन वादों को यथाशीघ्र निस्तारित करने हेतु मुख्य रूप से निम्न कार्यवाही की गई है :–

(1) जिन वादों में बैंच द्वारा राशि वसूली के स्थगन आदेश दिए हुए हैं ऐसे वादों की सुनवाई प्राथमिकता पर की जाकर निस्तारण किया जाता है।

(2) पुराने वादों को सुनवाई हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियत किया जा रहा है।

(3) बोर्ड में विचाराधीन परिशोधन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई बैंच के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

(4) बैंचों द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए जाते हैं उन निर्णयों को रिपोर्टिंग योग्य मार्क किया जाता हैं। उनमें विवादास्पद बिन्दु एवं उस पर दिये गये निर्णयों से बोर्ड की दूसरी बैंचों को भी उनकी जानकारी कराई जाती है ताकि निर्णयों में एकरूपता कायम रह सकें।

(5) स्टाम्प से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय पर नियमित रूप से एक पृथक एकलपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है।

(6) पुराने अनियमित वादो को ढूंढकर उनको प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हेतु बैंच के समक्ष नियत किये गये ताकि पुराने प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जा सके।

---------------------- ----------------------